

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी भिनाय, जिला अजमेर
(पीठासीन अधिकारी भावना गर्ग)

आर.ए.एस

प्रकरण सं./वाद पत्र/एल.आर./19/2019

1. अनवर अली पुत्र रोशन अली जाति मुसलमान निवासी बागरोल तहसील सिद्धपुर जिला पाटन
2. शरीफा बानू पत्नि रोशन अली जाति मुसलमान निवासी बागरोल तहसील सिद्धपुर जिला पाटन
(प्रार्थी)

बनाम

1. श्री सकराम पुत्र निम्बा जाति गुर्जर निवासी खटाणा का खेडा तहसील भिनाय जिला अजमेर
2. श्री सोबता पुत्र निम्बा जाति गुर्जर निवासी खटाणा का खेडा तहसील भिनाय जिला अजमेर
3. श्री लाला पुत्र निम्बा जाति गुर्जर निवासी खटाणा का खेडा तहसील भिनाय जिला अजमेर
4. श्री श्योजी पुत्र निम्बा जाति गुर्जर निवासी खटाणा का खेडा तहसील भिनाय जिला अजमेर
5. श्री सत्यनारायण पुत्र निम्बा जाति गुर्जर निवासी खटाणा का खेडा तहसील भिनाय जिला अजमेर
6. श्री चान्दमल पुत्र श्री शोभागमल जाति महाजन निवासी पडांगा तहसील भिनाय जिला अजमेर
7. राजस्थान सरकार जरिये श्रीमान तहसीलदार महोदय, तहसील भिनाय

अप्रार्थीगण

निर्णय अन्तर्गत धारा 128 भू-राजस्व अधिनियम

उपस्थित :- 1. वकील अपीलाण्ट श्री धर्मवीर बापनिया

निर्णय दिनांक 27.03.2019

संक्षिप्त में प्रकरण इस प्रकार है कि मौजा खटाणा का खेडा के खसरा नं. 2199/1951 रकबा 0.3829 हैं, 2201/2019 रकबा 0.2243 हैं कुल कित्ता 2 रकबा 0.6072 हैं। किस्म बारानी-3 जो कि प्रार्थीगण के खातेदारी कब्जे काश्त की भूमि होने के कारण स्थाई पत्थरगढी कराना चाहता हैं। अप्रार्थी सं. 1 लगायत 6 प्रार्थी की कब्जे काश्त भूमि पर नाजायज दखल देने एवं अप्रार्थी सं. 7 जरिये तहसीलदार भिनाय ने प्रार्थी को पत्थरगढी हेतु न्यायालय का आदेश लाने पर पत्थरगढी करने पर कहने के कारण प्रार्थी ने यह प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया हैं।

प्रकरण दर्ज कर अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थी सं. 1 लगायत 6 नोटिस तामिली बावजूद उपस्थित न होने पर उनके विरुद्ध एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई गई। पैरोकार सरकार उपस्थित। पैरोकार सरकार ने जवाब पत्र प्रस्तुत न करते हुए सीधे बहस किए जाने का निवेदन किया। दौराने बहस प्रार्थना पत्र पैरा सं. 1 नुताबिक राजस्व रिकॉर्ड स्वीकार किया हैं। पत्रावली का अवलोकन किया प्रार्थना पत्र में वर्णित आराजी प्रार्थीगण की स्वयं की खातेदारी भूमि होना पाया गया। प्रार्थना पत्र वास्ते पत्थरगढी का न्यायोचित होना पाया गया। अतः प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 भू-राजस्व अधिनियम का स्वीकार योग्य होने से स्वीकार किया जाकर मौजा खटाणा का खेडा के खसरा नं. 2199/1951 रकबा 0.3829 हैं, 2201/2019 रकबा 0.2243 हैं कुल कित्ता 2 रकबा 0.6072 हैं। किस्म बारानी-3 प्रार्थीगण की खातेदारी होने से भू-अभिलेख निरीक्षक- सिंगावल को 1,500/-रूपये (अक्षरे- एक हजार पाँच सौ रु० मात्र) फीस पर कमिश्नर नियुक्त किया जाता है। कमिश्नर फीस प्रार्थी द्वारा मौके पर अदा की जायेगी। भू-अभिलेख निरीक्षक पत्थरगढी से कम से कम तीन दिन पूर्व समस्त हितबद्ध पडौसी एवं खातेदारान को उक्त आराजीयात की पत्थरगढी की लिखित सूचना पत्र से समय एवं तिथी बाबत सूचित करेगें तथा मुस्तकील बिन्दु को आधार मानकर पत्थरगढी की जावे। पत्रावली फैसल शुमार दर्ज होकर नंबर से कम हो। बाद तामिल तकमील होकर दाखिल दपत्र हो।

निर्णय आज दिनांक 27.03.2019 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर सरे इजलास न्यायालय में सुनाया गया।

(भावना गर्ग)

सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी
भिनाय जिला अजमेर

